© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
Themed Section : Engineering and Technology

वर्तमान समय में शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम के परिवर्तित प्रतिमान समस्याए एवं सम्भावनाएं

Dheerendra Kumar Singh

यूजीसी नेट–जेआरएफ (शिक्षाशास्त्र),
शोध छात्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्व विद्यालय फैजाबाद

छात्र के भविष्य का आधार स्कूल होते है। यदि स्कूल का शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा उचित माप दण्डों के आधार पर कार्यान्वित नहीं किया जाता तो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय के विद्वानों, शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं विभिन्न आयोगों के सुझाव के बाद भी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर अच्छे अध्यापकों शिक्षण कार्य के निर्माण में साकात्मक प्रयास किया है किन्तु अभी भी वर्तमान तकनीकि परिवर्तन को देखते हुए एवं समाज के भविष्य निर्माण में शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है।

सम्पूर्ण देश का विकास देश के नागरिकों के ऊपर निर्भर करता है। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास अर्थात् शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, एवं आध्यात्मिक आदि विकास करें और बालक का सर्वांगीण विकास स्कूल में विशेष रूप से अध्यापकों द्वारा किया जाता है। स्कूल का लम्बा सफर तय करने के बाद बालक उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है तो क्या यह मानकर चलें कि उच्च शिक्षा में प्रवेश करते समय बालक का सर्वांगीण विकास हो चुका था? या फिर कितने प्रतिशत हुआ था ? आज के आधुनिक शिक्षित समाज के वास्तविक स्वरूप को देखते हैं तो लगता है जैसे हमारे समाज के लोगों का विकास ही नहीं हो पाया है शिक्षा के माध्यम से बहुत से शिक्षकों ने समाज के जिन नागरिकों का निर्माण समाज के लिए किया, सही अर्थ में उनका निर्माण भी नहीं हो पाया, शारीरिक विकास जो स्कूल में रहकर शिक्षा के माध्यम से शिक्षक द्वारा होना था। उस विकास का वास्तविक रूप हमें अस्पतालों में, पार्कों में और योग केन्द्रों के मन में झूठ, बेईमानी, धोखा भरा है। संवेगों के बारे में देखा जाये तो लोगों का अपने संवेगों पर नियन्त्रण भी नहीं है और न ही संवेगों का वास्तविक स्वरूप नजर आता है। चरित्र के मामले में बहुत से लोगों को सड़कों पर भूखे भेड़ियों की तरह दौड़ते देखा होगा और आध्यात्मिकता के नाम पर लोग सपनों को ही धोखा देने में लगे हुए है। लोगों को सर्वांगीण विकास के दायरे में जीने के लिए कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसका श्रेय अध्यापक ले जाता है।

अध्यापक शिक्षा एवं बीसवीं सदी के प्रारम्भ का आधुनिक काल–

लार्ड कर्जन ने विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापकों को अच्छे प्रशिक्षण की बात कही। कर्जन ने कहा प्रशिक्षण संस्थाएँ साधन सम्पन्न होनी चाहिए। स्नातकों के लिए एक वर्ष तथा अस्नातकों के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम होनी चाहिए, पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक (शिक्षा अभ्यास) दोनों प्रकार का होना चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ अभ्यास विद्यालय संलग्न होने चाहिए और प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के बीच अलगाव नहीं होना चाहिए। मिण्टो–मार्ले सुधार ने प्रमाण पत्र प्राप्त प्रशिक्षित व्यक्ति को ही नौकरी

देने की बात कहकर भारत में अध्यापक शिक्षा को दिशा प्रदान की। सैडलर आयोग अर्थात् कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना हो, शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि हो तथा शिक्षा को इण्टरमीडिएट स्तर पर विषय के रूप में पढ़ाया जाये। सर फिलिप हर्टोग समिति के सुझावों के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और पूर्व प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए दो वर्ष जूनियर बेसिक गैर स्नातक के लिए दो वर्ष, सीनियर बेसिक के लिए तीन तथा हाईस्कूल पढ़ाने वाले स्नातक अध्यापकों के लिए एक वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सार्जेन्ट समिति ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार होना चाहिए। रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था, प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध, सेवाकालीन प्रशिक्षण शोध कार्य की उचित व्यवस्था आदि होनी चाहिए।

अध्यापक शिक्षा एवं स्वतन्त्रता के पश्चात् का आधुनिक काल–

राधाकृष्णन आयोग अर्थात् विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1948 में कहा कि अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को पुनः संरचित किया जाये। प्रयोगात्मक परीक्षा और शिक्षण अभ्यास को अधिक समय दिया जाये। शिक्षण अभ्यास के लिए उचित स्कूलों का चयन किया जाये। एम0एड0 पाठ्यक्रम में लम्बा अनुभव प्राप्त छात्र को प्रवेश देना चाहिए। प्रोफेसर तथा अध्यापक स्वयं अनुसन्धान कार्य करना चाहिए। मुदालियर आयोग अर्थात् माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने अपने सुझावों में कहा कि दो प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान जिनमें अवधि क्रमशः दो और एक वर्ष की हो। छात्राध्यापक को एक या दो पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें भी शिक्षा के साथ–साथ वित्तीय सहायता एवं आवास की सुविधा भी दी जानी चाहिए। रिफ्रेशर कोर्स, वर्कशाप, सेवारत अध्यापकों के लिए गोष्ठियों और शोध कार्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। एम0एड0 में 3 वर्ष के शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित स्नातकों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षा में सुधार हेतु एन.सी.ई.आर.टी. की स्थापना की गई और उसके अधीन 4 प्रादेशिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। कठोरी आयोग अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66) विभिन्न संस्तुतियां दी जैसे–अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता और सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों के बीच अलगाव को दूर किया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण किया जाये, स्नातक स्तरीय एक वर्षीय पाठ्यक्रम के कार्य दिवस 230 होने चाहिए, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य नियुक्त किये जायें, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो, ग्रीष्म कालीन संस्थाएं चलाई जाए, प्रशिक्षण फ्री हो, छात्रध्यापक को आर्थिक सहयोग मिले। उन्हें छात्रावास की सुविधा हो, प्रयोगात्मक विद्यालय प्रशिक्षण संस्थानों में चयनित किया जाये आदि। यू.जी.सी. ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम प्रारम्भ किया और बी.एड. तथा बी.ए., बी. एड, पाठ्यक्रम के लिए उद्देश्य निर्धारित करते हुए कहा कि न्यूनतम प्रवेश योग्यता स्नातक हो जबकि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। यू.जी.सी. समिति ने कहा कि बी. एड. 14 महीने की हो। प्रवेश योग्यता मैरिट पर आधारित हो। स्नातक के बाद दो साल का शैक्षिक अनुभव हो। राष्ट्रीय परामर्श समिति ने अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में कहा कि स्नातक के बाद बी. एड. एक वर्ष तथा 12वीं के बाद चार वर्ष की होनी चाहिए। अध्यापक राष्ट्रीय आयोग उत्तम अध्यापक के कौशल और दक्षता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानने का सुझाव दिया आयोग ने कहा कि बी.एड. पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाये और कार्य दिवस कम से कम 220 दिन बनाया जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने भी अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित अपने सुझाव दिये। 1993 में एन.सी. टी. ई.

एक्ट को पारित किया गया। जिसके अनुसार परिषद को अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नियन्त्रक, निर्धारक और नियोजक की भूमिका दी गई।

निष्कर्ष

आज वर्तमान समय में हमारे समझ पर्यावरण की समस्या विकराल रूप धारण किये खड़ी है जिसे पर समय–2 पर नियम व अधिनियम बनाये जाते है। परन्तु इसका पालन नही किया जाता क्योंकि कुछ व्यवहारिक व प्रशासनिक समस्याएं है इसलिए इसके निराकरण के लिए हमें बेसिक स्कूल से लेकर कालेज स्तर तक पर्यावरण से सम्बन्धित प्रयोगिक कार्य जाये। जैसे–अभी वर्तमान में कालेज में पौधा रोपण कार्यक्रम तो चलाये जाते है किन्तु प्राइमरी व जूनियर स्तर पर अध्यापकों द्वारा इस कार्यक्रम में कुछ विशेष रूचि का अभाव है। इसके समाधान के लिए जनजागरूकता की आवश्यकता है जिसमें संचार माध्यम व विशिष्ट अध्यापकगण भाग ले एवं छात्रों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित कर सके।

दूसरी समस्या कालेज स्तर पर परम्परागत पाठ्यक्रम को लेकर आती है यू. जी. सी. एवं विभिन्न आयोग के माध्यम से नवीन पाठ्यक्रम के सुझाव आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तैयार करने के लिए शिक्षा विदों से कहा जाता है जिसमें यह प्रयास किया जाना चाहिए कि स्वयं की परम्परागत सोच से हटकर नवीन विचार से पाठ्यक्रम तैयार करें जिसमें शिक्षक समाज व देश का कल्याण हो सके।

तीसरी समस्या विश्व विद्यालय एवं कालेज स्तर पर योग्य अध्यापक का चयन करना है क्योंकि योग्य अध्यापक की वजह से विश्व विद्यालय एवं कालेज की पहचान होती है इसके लिए देश में एक मानक का होना अत्यन्त आवश्यक है।

शिक्षा शास्त्रियों, विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों आदि के बहुमूल्य सुझावों और विभिन्न शिक्षा आयोगों, समितियों, रिपोर्टो एवं परिषदों के महत्वपूर्ण सिफारिशों के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है जैसे हमें अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विकास नहीं कर पायें हैं क्योंकि सरकारी स्कूल के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी मापदण्डों के आधार पर तैयार अध्यापक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाया है। प्राइवेट स्कूलों की तुलना में उच्च स्तर का होता है, ऐसा नहीं है लोगों के सुझाव गलत हैं या आयोगों की सिफारिश उचित नहीं है, ऐसा नहीं है लोगों के सुझाव गलत हैं या आयोगों की सिफारिश उचित नहीं है बल्कि नियमों को लागू करने में कमी है। बहुत से विश्वविद्यालय जिनके आधार पर चलाये गये विभिन्न महाविद्यालयों तथा अनेक शिक्षण संस्थायें अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रही है। अध्यापक शिक्षा के नाम पर डिग्रियां तो बाँटी जा रही है पर ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है।

सुझाव

अब तक के लोगों के सुझावों और आयोगों की सिफारिशों को देखते हुए लगता है कि हमने अध्यापक शिक्षा के नाम पर बहुत सामग्री इकट्ठी कर रखी है पर उस सामग्री को मूल रूप देने में अध्यापक शिक्षा से जुड़ी परिषदों एवं संस्थाओं आदि ने अपनी लापरवाही की है। यदि अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित अब तक के बनाये गये नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो शिक्षा का स्वरूप प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छा होता जो संस्थाऐं और परिषदें अध्यापक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं यदि उन्हें शिक्षा के गिरते स्तर के लिए जवाबदेह बनाया जाये तो हम समझते

हैं कि उपलब्ध साधनों और सुझावों के आधार पर अध्यापक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को एक विशाल रूप दिया जा सकता है और बालक का सर्वागीण विकास किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थः–

1. डॉ0 जी.सी. भट्टाचार्य शिक्षा, आगरा।
2. आर. ए. शर्मा अध्यापक प्रशिक्षण तकनीकि, मेरठ।
3. पी. डी. पाठक भारतीय शिक्षा आयोग मेरठ।